प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अध्यक्षता में दिनांक 12 अप्रैल, 2019 को मध्याह्न 12.30 बजे कोविड–19 की रोकथाम, नियंत्रण एवं उपचार हेतु गठित राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

....

1. बैठक में वर्तमान परिदृश्य Infection, prevention हेतु आकस्मिक एवं बाह्य रोगी तथा कोविड–19 के संभावित संक्रमण से संबन्धित व्यक्तियों को चिकित्सीय सेवाए दिए जाने हेतु प्रोटोकाल सृजन के संबन्ध में यूनीसेफ एवं डब्लू0एच0ओ0 के प्रतिनिधियों को आज ही सांय तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिए गये। ।

   (कार्यवाहीः यूनीसेफ एवं डब्लू0एच0ओ0 प्रतिनिधि)

2. उक्त सृजित प्रोटोकाल से समस्त चिकित्सकों को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से चर्चा के मध्य सहमति हुई कि टेक्नीकल सपोर्ट यूनिट, एन.एच.एम. उ0प्र0 द्वारा दूरसंचार तकनीकी के प्रयोग से हाई रिस्क जनपद में प्राथमिकता के आधार पर आयोजित किया जाय। इन प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा अपने यूनिट के अन्य /हेल्थ वर्कर्स/सहयोगी स्टाफ को प्रशिक्षित करेगें।

   (कार्यवाहीः अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0)

3. कोबिड–19 डैसबोर्ड पर प्रतिदन डाटा अपडेशन जनपद स्तर पर कार्यरत कार्यक्रम प्रबन्धक– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से समन्वय कर कराया जाय।

   कार्यवाहीः निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0/स्टेट सर्विलांस अधिकारी।

4. प्रदेश में चिन्हित हाट–स्पाट में निगरानी से संबन्धित की जा रही कार्यवाही/सेवाओं से संबन्धित प्रगति प्रतिदिन उपलब्ध करायी जाय ।

   कार्यवाहीः निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0/स्टेट सर्विलांस अधिकारी।

5. प्रदेश स्तर पर क्रियाशील काल–सेण्टर पर कोविड–19 से संबन्धित जनकारी/सूचना के आदान प्रदान/सहायता के अतिरिक्त सामान्य बीमारियों के संबन्ध में जनमानस को जानकारी दिए जाने की व्यवस्था को भी अंगीकृत किया जाय।

   कार्यवाहीः निदेशक, प्रशासन, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

6. वर्तमान समय में प्रदेश के महिला चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं की उपस्थिति एवं उनको दी जा रही सुविधाओं के संबन्ध में चर्चा की गयी। चर्चा के मध्य यह निर्देशित किया गया कि चिकित्सालयों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल एवं प्रसव की सेवाएं अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।

   कार्यवाहीः महानिदेशक, परिवार कल्याण

7. कोविड–19 अंतर्गत चिन्हित प्राईवेट चिकित्सालयों के चिकित्साधिकारियों एवं समस्त सहयोगी स्टाफ को भी कोविड–19 से संबन्धित चिकित्सीय प्रोटोकाल, सुरक्षा प्रोटोकाल आदि से संबन्धित प्रशिक्षण भी करवाया जाय।

   (कार्यवाहीः अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0)

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव,

pankaj sir U.O com 3

10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कारपोरेशन उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया कि पी0पी0ई0 किटस एवं आक्सीजन कन्सनट्रेटर के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण करते हुये अतिशीघ्र प्राप्त कर ली जायेगी।

(कार्यवाही प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एम0एस0सी0एल0)

11. निजी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत आच्छादित लाभार्थियों के उपचार का भुगतान किये जाने हेतु कैबिनेट प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत किये जाने का निर्देश दिया गया।

(कार्यवाही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज)

12. कोविड–19 हेतु निर्धारित ड्रग प्रोटोकाल के अनुरूप वर्तमान में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की प्रोफालेक्टिक स्थिति से अवगत कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

13. जिला स्तर पर क्वरेन्टिइन हेतु रखे गये महिला रोगियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय एवं स्टाफ नर्स के अतिरिक्त यथा सम्भव महिला पुलिस कर्मियों से सुरक्षा हेतु सहयोग लिया जाय। इसके अतिरिक्त कम उम्र के बच्चों को भी मॉ के साथ महिला वार्ड में रखे जाये एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुये क्वेरन्टिइन किये जाने के निर्देश दिये जायें।

(कार्यवाही महानिदेशक, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

14. प्रदेश में कोविड–19 के अन्तर्गत किये जाने वाले प्रचार–प्रसार कार्यक्रम की समीक्षा भी की गयी जिसके अर्न्तगत भारत सरकार से प्राप्त कोविड एवयरनेस प्रोग्राम हेतु वीडियोज को पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त कोविड–19 से ठीक हुये रोगियों का भी वीडियों संदेश बनाये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। इस हेतु यथशीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(वी0हेकाली झिमोमी)
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–5
संख्या– 855 पांच–5–2020
लखनऊः दिनांकः 13 अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
5. विशेष संचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेशं शासन।
6. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।
7. निदेशक संचारी, रोग, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एम0एस0सी0एल0।
10. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, साचीज, उत्तर प्रदेश।
11. स्टेट सर्विलान्स अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
13/04/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

13/04/2020